भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1416
जिसका उत्तर बुधवार, 27 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

न्यायालयों में रिक्त पद

1416. श्री शिशिर कुमार अधिकारी :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री फिरोज़ वरुण गांधी :
श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमाडा :
श्री सुनील कुमार पिन्टू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों का न्यायालय -वार ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कुल कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है ;
(ख) क्या देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की राज्य और पीठ-वार संख्या कितनी है ;
(ग) यदि हां, तो उक्त पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं और इसके क्या कारण हैं ;
(घ) क्या सरकार का सभी रिक्त पदों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर भरने का विचार है और यदि हां, तो वायदे को पूरा नहीं करने का क्या कारण है तथा रिक्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने नागरिकों को त्वरित-न्याय प्रदान करने तथा लंबित मामलों की संख्या कम करने हेतु देश के सभी न्यायालयों में अति शीघ्र न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की नियुक्ति करने हेतु कोई समय-सीमा तय की है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 2016 से 2019 (तारीख 20.11.2019 तक) न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियों की संख्या तथा नियुक्त हुए कुल न्यायाधीशों की संख्या उपदर्शित करने वाला एक विवरण उपाबंध पर दिया है।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को प्रारंभ करना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को प्रारंभ करना संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है जो उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को रिक्तियों के उद्भूत होने से कम से कम छह मास पूर्व प्रारंभ कर सकेगा। तथापि, इस समय सीमा की विरले ही अनुपालना की जाती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना एक सतत्, एकीकृत और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के बीच समन्वयकारी प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न

सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है। इसलिए, न्यायाधीशों को नियुक्त करने की कोई समय सीमा उपदर्शित नहीं की जा सकती।

जबकि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरे जाने का हरसंभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और न्यायाधीशों की पदोन्नति के मद्दे उद्‌भूत होती रहती हैं।

सांविधानिक कार्यढांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबद्ध उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

****

उपाबंध

'न्यायालयों में रिक्त पद' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1416 जिसका उत्तर तारीख 27.11.2019को दिया जाना है के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(20.11.2019की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद सं.	कार्यरत पद सं.	रिक्तियां	निम्नलिखित के दौरान नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की कुल संख्या			
					2016	2017	2018	2019 (2019/11/20)
क	भारत का उच्चतम न्यायालय	34	33	01	04	05	08	10
ख	उच्च न्यायालय							
1	इलाहाबाद	160	100	60	20	31	28	01
2	आंध्र प्रदेश	37	15	22	01	10	-	02
3	बंबई	94	65	29	06	14	04	05
4	कलकत्ता	72	40	32	01	06	1 1	06
5	छत्तीसगढ़	22	15	07	03	03	4	-
6	दिल्ली	60	37	23	05	04	5	04
7	गुवाहाटी	24	18	06	05	02	2	01
8	गुजरात	52	28	24	05	-	4	03
9	हिमाचल प्रदेश	13	10	03	04	-	-	02
10	जम्मू - कश्मीर	17	08	09	-	03	2	-
1 1	झारखंड	25	19	06	04	02	3	02
12	कर्नाटक	62	39	23	05	02	12	09
13	केरल	47	32	15	05	03	4	01
14	मध्य प्रदेश	53	31	22	18	-	8	02
15	मद्रास	75	54	21	25	12	8	01
16	मणिपुर	05	04	01	01	-	-	-
17	मेघालय	04	03	01	-	-	1	01
18	ओडिशा	27	14	13	-	-	1	-
19	पटना	53	27	26	06	06	-	05
20	पंजाब और हरियाणा	85	49	36	01	08	7	03
21	राजस्थान	50	21	29	1 1	05	-	03
22	सिक्किम	03	03	0	-	01	-	-
23	तेलंगाना	24	13	1 1	-	-	1	03
24	त्रिपुरा	04	03	01	-	03	3	-
25	उत्तराखंड	1 1	10	01				01
	कुल	1079	658	421	126	115	108	55